Title: Discussion on the resolution regarding participation of Gram Sabha in Poverty Alleviation Programmes moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh. (Not concluded)

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the Resolution on Participation of Gram Sabha in poverty alleviation programmes by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

Before we take up the Resolution for discussion, we have to fix the time for this Resolution. Shall we fix two hours?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: All right, we fix two hours for this discussion.

Now, Shri Raghuvansh Prasad Singh to initiate the discussion.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> " कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह केन्द्र सरकार के विभिन्न ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कार्यक्रमों, के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित करे। "

सभापति जी, मैं सबसे पहले पुराने समाजवादी नेता श्री रामानन्द सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इससे पहले वाले गैर सरकारी संकल्प में चिन्ता व्यक्त की है कि केन्द्र सरकार से राज्यों सरकारों को जो पैसा जाता है, वह पूरा खर्च नहीं होता। हमारे उसमें दो संशोधन हैं। पहला यह है कि जो पैसा पहले जाता था, अब उससे कम जा रहा है। दूसरा जितना पैसा जाता है, वह सारा खर्च नहीं होता है और तीसरा उसका दुरुप्योग होता है। ये तीनों बातें संकल्प दो में है, जो हमने प्रस्तावित किया है। मैं श्री महात्मा गांधी, डा. राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को स्मरण करता हूं जिन्होंने यह सपना देखा था कि जब विलेज का ऐमपावरमैंट होगा तभी देश मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। उसी ख्याल में मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए और 243 बी को पढ़ना चाहता हूं :-

243.(b) "Gram Sabha" means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at the village level.

243A. A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide.

मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में यह जोर दिया गया है कि ग्राम सभा का ऐमपावरमैंट हो। इसके अलावा डेमोक्रेसी की स्थापना और उसको मजबूत करने के लिए ग्राम सभा ही मूल इलाज है। मेरा कहना है कि जितनी भी गरीबी उन्मूलन करने वाली योजनायें चल रही हैं, उन सभी में ग्राम सभा की भागीदारी हो और ग्राम सभा में ही सारे फैसले होने चाहिए।

इसके साथ-साथ सरकार जन वितरण प्रणाली में दावा करती है कि हम साढ़े आठ करोड़ रुप्ये खर्च करते हैं, सबसिडी देते हैं। 1991 की जनगणना के हिसाब से उस समय देश की आबादी और परिवारों की संख्या कम थी। उस समय यह माना गया था कि 16 करोड़ परिवार हिन्दुस्तान में हैं जिसमें से 6 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन कल जब 100 करोड़ की आबादी पूरी हो गई तो मेरा अनुमान है कि 20 करोड़ परिवारों की संख्या हिन्दुस्तान में हो गई है जिसमें से 8 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम लोग जब गांव मे जाते हैं तब गांव का आदमी क्या बोलता है? वह बोलता है कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला यानी गरीबी रेखा से नीचे की जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, उसमें हमारा नाम दर्ज नहीं है। आप 100 आदमियों से मुलाकात करेंगे तो उसमें से 15-20 आदमी ऐसे हैं जो सचमुच भूमिहीन हैं। जो काम करके खाते हैं और जब काम नहीं मिलता तो उप्वास करते हैं, भूखे रहते हैं। इस तरह के लोगों का नाम अभी तक गरीबी रेखा की सूची में नहीं है। हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार इस पर विचार करे और देखे कि कोई भी गरीब आदमी और गरीबी रेखा से नीचे का परिवार इन योजनाओं की सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए सर्वेक्षण होना चाहिए।

हमने जो संकल्प दिया है, वह एक तरह से सरकार की मदद में है। सरकार ने ऐलान किया है कि सन् 2000 का र्वा ग्राम सभा र्वा होगा लेकिन केवल यह ऐलान तक ही सीमित है। ग्राम सभा र्वा के जो उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति नहीं हुई बल्कि कागज में ही लिखा-पढ़ी हुई कि सन् 2000 का र्वा ग्राम सभा र्वा मान लिया गया है। इन्फोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। आज दूरदर्शन में अंट-बंट का प्रचार होता है। â€¦(व्यवधान)

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : यह अंट-बंट क्या होता है।â€¦(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप न्यूज में देखिये कि उसमें क्या-क्या दिखाते हैं। सरकार ने केवल ऐलान ही किया है कि यह र्वा ग्राम सभा र्वा है। टी.वी., रेडियो एवं अन्य प्रचार मीडिया में पर्याप्त ग्राम पर जोर देना चाहिए। प्रधान मंत्री को ग्राम सभा में शामिल होना चाहिए। जितने हमारे ग्राम विकास के मंत्री हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एम.एल.ए. और एम.पी. हैं, उन सभी को ग्राम सभा में जाना चाहिए जिससे ग्राम सभा की अहमियत बढ़े।

ग्राम सभा कागजों में करने की हिदायत भी दी गई है लेकिन वह जाली होती है, ग्राम सभा बैठती नहीं है। सन् 2000 को यदि सरकार ने ग्राम सभा र्वा के रूप में मनाने की घोाणा की है तो ग्राम सभा का ऐमपावरमैंट हो और ग्रास रूट डैमोक्रेसी हो। यदि हम ग्राम सभा को मजबूत करना चाहते हैं तो उसे मीडिया और अखबारों में अहमियत दी जानी चाहिए। आई. एंड बी मंत्री आन्दोलन में थे, उधर चले गए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ग्राम सभा का प्रचार मीडिया द्वारा होना चाहिए। हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि

5-10 बीघे जमीन वाला आदमी भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में अपना नाम लिखवा लेता है और असली गरीब आदमी, जो निर्धन है और गरीबी की रेखा से नीचे की डैफीनेशन को पूरा करता है, वह छूट जाता है। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह बैठक करे और उसमें यह तय करे कि कौन आदमी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला है और कौन गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाला है। कागज में लिखा-पढ़ी से काम नहीं होगा। तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी। सर-जमीन पर घूमने से यह जानकारी मिली है कि इस तरह गड़बड़ी हुई। पी.डी.एस. सिस्टम के अंतर्गत भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के नामों के चयन करने का काम ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए और ग्राम सभा की अहमियत होनी चाहिए।

मिट्टी का तेल, चावल, गेहूं आदि सामान गरीब आदमी के नाम पर जाता है लेकिन वह ब्लैक हो जाता है। निगरानी समिति भी नहीं बनी है। कहा गया था कि जन

वतरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी समिति बनेगी। कहा गया था कि दुकानवाइज निगरानी समिति बनाएंगे और लाभार्थी उसके सदस्य होंगे लेकिन वह नहीं बनी। देशभर में उस लेवल पर कहीं नहीं है, कहीं-कहीं नाममात्र की निगरानी समिति बनी है। इसलिए यह होना चाहिए कि ग्राम सभा में बैठक हो और पारदर्शिता लाई जाए कि कितना सामान गया, कितना उनको मिला, इस सबका हिसाब-किताब ग्राम सभा करे। पी.डी.एस. के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग छूट हुए हैं, उन्हें लाल कार्ड, किसी-किसी राज्य में नीला कार्ड भी मिला है, उस कार्ड का निर्धारण ग्राम सभा में हो। सरकार ने पिछले साल अन्नपूर्णा योजना की घोणा की। जो बूढ़े, निस्सहाय, गरीब, बेहाल लोग हैं, उन को दस किलो मुफ्त अनाज देंगे। लेकिन साल्भर में इन्होंने एक आदमी को भी वह नहीं दिया। इस साल 100 करोड़ रुपये का बजट उपबंध हुआ है लेकिन मैं नहीं जानता कि इससे उनको कोई लाभ मिल सकेगा या नहीं। यह अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए कि गांव के लोग बैठक करके यह तय करें कि दस किलो अनाज किस परिवार को, किस व्यक्ति को मुफ्त में मिलना चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ऐलान किया था कि हम एक रुपया देते हैं तो गांवों में 16 पैसे पहुंचते हैं। इस का इलाज है। ग्राम सभा का ऐमपावरमैंट हो। जमीन के निर्णय, मौनीटरिंग, निगरानी करने का काम ग्राम सभा को दिया जाए। हिन्दुस्तान में 6 लाख गांव गरीब होंगे। भारतीय संविधान में ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

18.00 hrs.

लोक सभा भंग हो सकती है, विधान सभा भंग हो सकती है। कहीं पंचायत का चुनाव नहीं होता तो पंचायत भंग हो सकती है, लेकिन ग्राम सभा भंग नहीं होगी, यह भारतीय संविधान ने उसको दर्जा दे दिया। उसे भंग नहीं होने को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वह असली ग्रास रूट की संस्था है।

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, now it is six o'clock. You may continue next time.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again on Monday, the 15th May, 2000 at 11.00 a.m.

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, May 15, 2000/Vaisakha 25, 1922 (Saka).